मूल वाद संख्या 2019/083

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर.

भोला सिंह बनाम कृष्णलाल व अन्य

विविध प्रार्थना संख्या 063/2019

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
22.10.2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत सिंह सिद्ध द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत. वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत. दर्ज पंजिका हो. प्रारम्भिक स्तर पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी. जिससे सन्तुष्ट होकर प्रारम्भिक स्तर पर आदेश दिया जाता है कि अनावेदकगण, आगामी तिथि तक, चक 7 एफ बडा के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 3,4,8,13,18,23 की कुल 1.493 हेक्टयर 6 बीघा कृषि भूमि की रिकॉर्ड की स्थिति यथावत कायम रखने के आदेश जारी हो। अनावेदकगण की तलबी हेतु पंजीकृत नोटिस जारी हो. नोटिस के पंजीबद्ध नहीं करवाये जाने एवं अनावेदक द्वारा उपस्थित आने पर यदि आवेदक बहस हेतु उपस्थित नहीं आने के परिणामतः प्रारम्भिक स्तर पर जारी किये जा रहे आदेश स्वतः ही निरस्त किये जा सकेंगे. पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 08 नवम्बर 2019 को पेश हो. **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** **श्रीगंगानगर**	
8/11/19	आज पीठासीन अधिकारी...[illegible]... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/11/19.....को पेश हो.	
27/11/19	आज पीठासीन अधिकारी...[illegible]... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..11/12/19.....को पेश हो.	
11.12.19	अभिभाषकगण उपस्थित, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु जारी नोटिस आम/बाद तामील प्राप्त नहीं पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी हेतु दिनांक 26-12-19 को पेश हो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:17:13 IST
Reason: SelfAttested

23/1/25 आज पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/3/25 को पेश हो।

6-3-25 आज पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/4/25 को पेश हो।

23/04/25 अधिवक्ता प्रार्थी उप० प्रार्थी अधिवक्ता को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत को अप्रार्थीगण के पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। प्रार्थी अधिवक्ता आवश्यक [illegible] अप्रार्थी क्र-01 के आवश्यक दस्तावेज तक प्रस्तुत करें अन्यथा आवश्यक [illegible] के तहत कार्यवाही आदेश 11 नियम 21 CPC अमल में लायी जायेगी। पत्रावली वास्ते [illegible] हेतु दिनांक 30/04/25 को पेश हो।

30/04/25 अधिवक्ता प्रार्थी उप० प्रार्थी अधिवक्ता को दिनांक 23/04/25 को आदेश 11 नियम 21 CPC के तहत कार्यवाही की हिदायत दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी क्र. [illegible] दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये [illegible] के आदेश 11 नियम 21 CPC के तहत [illegible] जाकर प्र० क्र. 63/19 [illegible] धारा [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] की जाकर रिकॉर्ड की पूर्ति के आदेश।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:17:13 IST
Reason: Self Attested